६

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, कमरा नं. 315, तृतीय तल जयपुर राजस्थान

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांकः डीसी/लेखा/2019–20/

दिनांकः–

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– लेखा जाँच दलों को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाये जाने हेतु।

सन्दर्भः– निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें के परिपत्र क्रमांक एफ–1(1998)/एन.एच.एम./लेखा/2019/2922 दिनांक 19.09.2019 के क्रम में।

उपरोक्त सन्दर्भानुसार संलग्न परिपत्र द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, के द्वारा प्रदान निर्देशों की पालना हेतु समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि लेखा जाँच दलों को वांछित रिकॉर्ड माँगने पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। आडिट दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

ध

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः डीसी/लेखा/बजट आवंटन/2019–20/ 524

दिनांकः– 11.11.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी सर्वर रूम को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

कार्यालय
औषधि नियंत्रक (राज.) जयपुर
11 NOV 2019
क्रमांक 8589

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 0141–2220962

क्रमांकः एफ–1(1988)/एन.एच.एम./लेखा/2019/2922 दिनांक :– 19/9/19

परिपत्र

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 16.09.2019 मे महालेखाकार राजस्थान जयपुर के उपस्थित प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा ऑडिट अवधि के दौरान सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑडिट दल को उपलब्ध नही करवाया जाता है, जिससे ऑडिट कार्य सम्पूर्ण नही हो पाता है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–प्रथम के नियम संख्या 17 मे स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक विभागीय एवं नियंत्रक अधिकारी का यह देखने का कर्तव्य है कि महालेखाकार को उसके कार्यो के निवर्हन हेतु समस्त युक्ति–युक्त सुविधाऐं प्रदान की जाएँ तथा उन्हे वे सभी पूर्ण सभव सूचनाएँ दी जाए जो वह लेखा तैयार करने के लिए जिनको तैयार करना उसकी ड्यूटी है मागे। ऐसी कोई भी सूचना लेने या कोई पुस्तके या अन्य दस्तावेज जिनको देखने का नियत्रक एव महालेखाकार परीक्षक को कानूनी अधिकार है। महालेखाकार को दिखाने से नही रोका जाए। यदि पत्रावलियों या उनके किसी भाग के विषय सूची गोपनीय या अत्यन्त गोपनीय है तो लेखा परीक्षा को व्यक्तिशः भिजवाया जावेगा। प्रधान महालेखाकार राजस्थान के लेखा जाच दलो को लेखा सबधी समस्त अभिलेखो को देखने का अधिकार है अभिलेखो को उपलब्ध नही करवाना सन्देह उत्पन्न करता है तथा गम्भीर अनुशासनहीनता की श्रेणी मे आता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक प. 4(134) वित्त/अकेक्षण/91 दिनाक 30.06.2016 (प्रति सलग्न) के विस्तृत निर्देश द्वारा जारी किये गये है। अतः समस्त विभागाध्यक्ष/ सयुक्त निदेशक जोन चिकित्सा एव स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारियो/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि लेखा जाच दलो को वाछित रिकॉर्ड मागने पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे। ऑडिट दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाने पर सबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत जिम्मेदार होगे।

19/9/19
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एव सामाजिक क्षेत्र) लेखा परीक्षा जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान जयपुर।
4. सयुक्त, शासन सचिव, वित्त (अकेक्षण अनुभाग)विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त परियोजना निदेशक एव नोडल अधिकारी/आरसीएच,एनएचएम।
6. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर।
7. समस्त सयुक्त निदेशक जोन ....समस्त
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी ..समस्त
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.... समस्त
10. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी........ समस्त
11. प्रभारी सर्वर रूम को इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

(विमल कुमार गुप्ता)
निदेशक (वित्त) एनएचएम

परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.4(134)वित्त/अंकेक्षण/91 जयपुर, दिनांक 30-6-2016

17.2.2016

समस्त अति.मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय : एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने की स्थिति को रोकने एवं जनलेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण के समय वांछित सही सूचनाएं उपलब्ध कराने एवं अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

सचिव, राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 17.05.2016 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के वैश्म में प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के साथ आयोजित बैठक में की गयी चर्चा का कार्यवाही विवरण सलग्न कर निम्न अनियमितताओ की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु ध्यान आकर्षित किया है –

1 महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के लेखो की जांच के पश्चात गठित किये गये आक्षेप बार–बार दोहराये जाते हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा ऐसे 88 विभागों एवं राजकीय उपक्रमों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें विगत सात वर्षो से एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति हो रही है (सूची सलग्न)।

2 जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/ स्थानीय निकाय एवं पचायती राज संस्थाओं सबंधी समिति मे परीक्षण के समय विभागों/राजकीय उपक्रमों द्वारा परीक्षण हेतु वाछित सूचनाओ को उपलब्ध नही कराने एव छिपाये जाने का प्रयास किया जाता है।

3. अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराया जाना, अंकेक्षण दलो को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध नही कराया जाना तथा जन लेखा समिति/राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति को परीक्षण हेतु वांछित सूचनाए उपलब्ध नहीं कराए जाना/तथ्यों को छिपाया जाना किसी भी स्थिति मे उचित नहीं है। इसे माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया है। अत: एक ही प्रकृति के आक्षेप बार–बार दोहराये जाने, अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाए उपलब्ध न कराए जाने तथा जन लेखा समिति/ राजकीय उपक्रम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के परीक्षण हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं तथ्यों को छिपाये जाने पर रोकथाम हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं –

1. एक ही प्रकृति के आक्षेपों को बार-बार दोहराया जाना यह दर्शाता है कि विभाग/राजकीय उपकम की कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अतः एक ही प्रकृति के आक्षेपों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु विभागीय कार्य प्रणाली/प्रकिया/नियमों की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार संशोधन किए जावे तथा सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियो को इसकी पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु पाबंद किया जावे।
2. जब भी जन लेखा समिति/राजकीय उपकम समिति/स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा विभागों/राजकीय उपकमों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावे तो परीक्षण के समय वांछित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास नहीं किया जावे एवं तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सही सूचना दी जावे।
3. महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख एवं सूचनाए उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में ही परिपत्र कमांक 13 (134) वित्त / अंकेक्षण/91 दिनांक 17.02.2016 जारी किया हुआ है जिसकी कड़ाई से पालना किया जाना अपेक्षित है।

कृपया इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गयी कार्यवाही से राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी अवगत करावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव